सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 15, गुरूवार, *शाके* 1944-जनवरी 05, 2023 *Pausa 15 Thursday , Saka 1944- January 05, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 06, 2022

संख्या प. 2 (23) वन/2022 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/ असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्षय उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 13, 14, 17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्ड़ित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि/
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्रं. सं.	**नाम ब्लाक**	**नाम तहसील**	**नाम जिला**	**सीमा**	**विवरण**		
					ग्राम खसरा नं0		**रकवा है0 मे**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**
1	बासवाडी ए	मासलपुर	करौली	उत्तर- 409/1 सिवायचक (बंजड भूमि), 409/2 वन विभाग पुर्व- 408/1 सिवायचक (बंजड भूमि), 408/2 वन विभाग पश्चिम- बंजड भूमि 674/245 दक्षिण- 675/673, 407/1 सिवायचक (बंजड भूमि), 407/2 वन विभाग	गढमंडोरा	676/673 किस्म – बंजड-2	5.9095
					योग		**5.9095**

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मासलपुर

सुरेश मिश्रा
उप वन संरक्षक
करौली

द्वितीय अनुसूची
पेडो की सूची

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Senegalia catechu	खैर
2	Acacia Nilotica	देशी बबूल
3	Ziziphus Numelaria	झडबेरी
4	Anogeissus Pendula	धोंक

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मासलपुर

सुरेश मिश्रा
उप वन संरक्षक
करौली

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण-पत्र

वन खण्ड - बासवाडी ए
रेंज - मासलपुर
वनमण्डल - करौली

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण बंजड 2 वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि तहत प्रत्यावर्तन प्रकरण डायवर्जन ऑफ 5.9095 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फोर माइनिंग ऑफ सिलिका सैण्ड इन फैवर ऑफ मैसर्स हिन्द खनिज करौली (राज0) के बदले प्राप्त हुई है।
3. इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
4. वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियों में धोंक, देशी बबूल, खैर एवं झडबेरी है। वन खण्ड में प्रमुख प्रजाति धोंक है।
5. समिपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवायचक बंजड व वन भूमि भूमि है। चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्ड के वाछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मासलपुर

सुरेश मिश्रा
उप वन संरक्षक
करौली

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।